# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 16/21 GCMS NO 2023/10

सूरजमल पुत्र गोकल जाति मीना निवासी कमालपुरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. जल सिह पुत्र सूरजमल
2. संजय पुत्र जल सिह
3. पवन पुत्र जल सिह
4. सन्तरा पत्नि जल सिह जातियान मीना निवासीयान कमालपुरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली

(अपील विरूद्व मु0नं0 55/20 निर्णय व डिकी दिनांक 5.3.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम )

अभिभाषक अपीला0 श्री मनोज कुमार शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 28.1.25

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 5.3.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल ख0न0 143 रकबा 0.22 है0, 143/389 रकबा 0.13 है0 154 रकबा 0.48 है0, 338 रकबा 0.23 है0, 339 रकबा 0.31 है0, 340 रकबा 0.05 है0, 70 रकबा 0.17 है0 एवं हाल ख0न0 71 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम कमालपुरिया वादी की तन्हा खातेदारी की भूमि है। जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अपीलांट असहाय बुर्जग सीधा सादा काश्तकार पेशा बीमार व्यक्ति है। रेस्पो0 न0 1 चालाक एवं बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है जो अपीलांट के साथ आये दिन मारपीट करता है। दिनांक 10.6.20 को रेस्पो0 ने अपींलांट की उक्त आराजीयात पर आकर आराजी को काश्त करने से मना कर दिया एवं कहा कि इस आराजी हो हम काश्त करगे तुम सम्पूर्ण आराजी को हमारी खातेदारी मे दर्ज करा दो। उक्त आराजी का एक इंच रकबा भी काश्त नही करने दे[illegible] गालियां धमकी दी गई कि इस जमीन पर पैर भी रखा तो जान से मार देगे। इसलिए रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी की खातेदारी की आराजीयात के कब्जे एवं खातेदार की आराजी मे महाजमत नही करे ना किसी अन्य से करावें। इस प्रकार का इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:32:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस अभिभाषक की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य बखूबी साबित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात का तन्हा अपीलांट कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिसमे दीगर किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध वास्ता नही है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी को दरकिनार करते हुए मात्र पैतृक सम्पति मानते हुए दावा खारिज किया गया है। जो खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तोवजी साक्ष्यो को डिस्कस ही नही किया है। जबकि अपीलांट ने अपनी मौखिक साक्ष्य मे स्वयं अपना शपथपत्र पेा कर अपने दावे को बखूबी साबित किया है और दस्तावेज को प्रदर्श कराया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा खिलाफ कानून डिक्री किया गया है। रेस्पो0 के खिलाफ दिनांक 3.3.21 को एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है। रेस्पो0 द्वारा माननीय न्यायालय मे कोई प्रोपर जबाब प्रस्तुत नही किया है। ना ही कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट तन्हा काबिज काश्त है। रेस्पो0 का उक्त आराजीयात से एक इंच पर ना तो आज कोई कब्जा है ना ही पहले था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खिलाफ कानून एवं खिलाफ मौका की जॉच कराये ही निर्णय पारित किया है। रेस्पो0 द्वारा अपने जबाब मे ऐसा कोई तथ्य दर्ज नही किया है जिससे वादग्रस्त आराजीयात पैतृक आराजी हो ना ही ऐसा कोइर्ठ दस्तावेज पेश किया है जिससे वादग्रस्त आराजी पैतृक साबित हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा की गई बहस को भी डिसकस नही किया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट का दावा डिक्री किया जाकर रेस्पो0 को पाबन्द किया जावे कि आराजीयात हाल ख0न0 143 रकबा 0.22 है0, 143/389 रकबा 0.13 है0 154 रकबा 0.48 है0, 338 रकबा 0.23 है0, 339 रकबा 0.31 है0, 340 रकबा 0.05 है0, 70 रकबा 0.17 है0 एवं हाल ख0न0 71 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम कमालपुरिया तहसील टोडाभीम मे अपीलांट के कब्जे काश्त मे मजाहमत नही करे ना ही अन्य किसी से करावे। मौके की स्थिति यथावत बनाई रखी जावे।

Signature Not Verified

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस को सुना किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट/वादी द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत रेस्पो0/प्रतिवादीगण को पाबन्द

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कराने की प्रार्थना की गई है। अपीलांट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात अपीलांट को रेस्पो0 जबरन बेदखल करना चाहते है। परन्तु उनके द्वारा इस तथ्य को साबित करने के बाबत किसी प्रकार का कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। चूकिः प्रतिवादीगण/रेस्पो0 अपीलांट के पुत्र एवं पौत्र एवं पुत्र बधु है। पैतृक आराजीयात मे पिता , पौत्र एवं पुत्र बधु का अधिकार निहित होता है। जो न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है। पुत्र , पौत्र एवं पुत्र बधु को अपने हिस्से की आराजीयात पर आने जाने से रोका जाना न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपीलं अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 55/20 निर्णय व डिक्री दिनांक 5.3.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.1.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:48 IST
Reason: SelfAttested